निगरानी / टीए/2752/ 2005/ जिला टोंक
नंदा (जरिये का.मु.) बनाम बादाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
16/7/25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी । श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** 1. हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–5–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. पुनरीक्षण याचिका के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी टोंक के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत किया। दौराने वाद अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी वाद में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 16–5–2005 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि वादी अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद पेश किया था तथा वाद में तनकीयात कायम की जाकर प्रार्थी की साक्ष्य में नियत थी। वाद वर्ष 1996 में प्रस्तुत किया गया था तथा संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 9–9–04 को आठ वर्ष बाद प्रस्तुत किया। परिस्थितियों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ था कि आठ वर्ष पश्चात् वाद में संशोधन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार संशोधन की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये जिससे वाद की प्रकृति पर असर हो एवं वाद की प्रकृति बदलती हो। अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नया कॉज ऑफ ऐक्शन दर्शाते हुये वाद में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	संशोधन चाहा। जो किसी भी कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वादीगण द्वारा चाहे गये संशोधन से सम्पूर्ण वाद की प्रकृति बदल जाती है। उनका यह भी कथन है कि आदेश 6 नियम 17 के तहत परिस्थितिवश रही भूल को सुधारा जा सकता है, पूरे दावे में परिवर्तित नही किया जा सकता। अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के माध्यम से नवीन वाद/तथ्य प्रस्तुत करना चाहता है, जिसकी इजाजत नहीं दी सकती थी। आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के हाल में हुये संशोधन को ध्यान में रखते हुये आदेश पारित करना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अतः निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे। 4. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्को से असहमत होते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 102 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नंगर 119 में से भूमि दिनांक 20–11–69 को प्रतिवादीगण ने 1000/–रूपये में यह भूमि जगदीशनारायण बजरंगलाल को विक्रय कर दी थी तब से वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है तथा वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। चूंकि वाद में कोई घोषणा नहीं चाही गई थी इस कारण प्रस्तुत वाद में संशोधन का निवेदन कर विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार करने से एंव वांछित संशोधन से वाद की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है। संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अतः आलोच्य आदेश यथावत रखा जाकर निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। 6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी टोंक के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	किया। दौराने वाद अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी वाद में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 16–5–2005 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका मंडल में प्रस्तुत की गई है। वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् है। वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के 8 वर्ष पश्चात् जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी दावे में संशोधन कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने अर्थात वाद में अंतर्गत धारा 88 ओर जोडने का निवेदन किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अनुज्ञात किया है। विचारण न्यायालय द्वारा जो संशोधन अनुज्ञात किया गया है, उससे वाद की प्रकृति में पूर्ण रूपसे परिवर्तन हो रहा है तथा वाद की प्रकृति स्थाई निषेधाज्ञा के साथ उदघोषणा की होकर परिवर्तित हो रही है। अतः इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय ने गैर पुनरीक्षणकर्ता वादीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार करने में विधि व तथ्य संबंधी स्पष्ट त्रुटि कारित की है, जो विधिसम्मत् नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं है। अतः हस्तगत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। 7. परिणामतः हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखंड अधिकारी टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–5–05 विधिसम्मत् नहीं होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मदनलाल नेहरा) सदस्य	